

निर्णय बड़जलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद  
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 151/1/2021

तारीख दायरा 15.11.2021

उनवान

जगदीश पुत्र सुखदेव जाति भीणा निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।  
- वादी

बनाम

1. द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव जाति भीणा निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा।
  2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।
- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी)

दिनांक :- 15.11.2021

श्री लोकेश पोटर (वकील प्रतिवादी)

सशस्त्र सेना झंडा दिवस



7 दिसम्बर - 7 DECEMBER  
ARMED FORCES FLAG DAY

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 के संयुक्त खाते व कब्जे काशत की आराजी माल ग्राम चतरपुरा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं० नई 29 के खसरा नं० 75 की 1.93 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 39 के खसरा नं० 732 की 0.64 हैक्टर, खसरा नं० 733 की 1.05 हैक्टर, खसरा नं० 736 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं० 737 की 0.34 हैक्टर कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 17 के खसरा नं० 109 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं० 110 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं० 111 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं० 17 की 0.33 हैक्टर, खसरा नं० 32 की 0.44 हैक्टर कुल किता 5 की कुल 2.04 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादी नं० 1 प्रत्येक का 1/2-1/2 हिस्सा निहित है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

वादी व प्रतिवादी नं० 1 ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा कर रखा है और अपने-अपने हिस्से में आयी आराजी को मौके पर आपसी सहमति से काबिज काशत करते चले आ रहे हैं जो कि निम्न प्रकार है :-

अ. हिरसा वादी जगदीश पुत्र सुखदेव :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
चतरपुरा	नई 29	75	1.93 सम्पूर्ण
		कुल 1 किता की कुल	1.93 हैक्टर आराजी
डोबडी	17	32	0.44 हैक्टर सम्पूर्ण
		109	0.06 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से
			0.58 हैक्टर पश्चिम

कुल 3 किता की कुल 1.08 हैक्टर आराजी

ब. प्रतिवादी नं० 1 द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव के हिस्से की आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
डोबडा	39	732	0.64 हैक्टर सम्पूर्ण
		733	1.05 हैक्टर सम्पूर्ण
		736	0.05 हैक्टर सम्पूर्ण
		737	0.34 हैक्टर सम्पूर्ण

कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर आराजी

डोबडी	17	17	0.33 हैक्टर सम्पूर्ण
		110	0.01 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से
			0.62 हैक्टर पूर्वी

कुल 3 किता की कुल 0.96 हैक्टर आराजी

वाद पत्र की मद नं० 2 में वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादी नं० 1 अपने हिस्से में आयी आराजीयात को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काशत व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं और उसी अनुसार अपने-अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाना चाहते हैं लेकिन वादी व प्रतिवादी नं० 1 का शागलाती खाता होने से वादी को अपने हिस्से में आयी मौके पर कब्जे काशत

2

ब्रह्मणित प्रतिनिधि

हरचण्ड अधिकारी, सानोड

उपखण्ड अधिकारी  
सानोड जिला कोष



की आराजी का विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके बावत वादी द्वारा प्रतिवादी नं० 1 से कई बार निवेदन करने के बावजूद भी प्रतिवादी नं० तैयार नहीं हो रहा है और टालमटूल कर रहा है। ऐसी स्थिति में वादी के लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :-

माल ग्राम चतरपुरा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं० नई 29 के खसरा नं० 75 की 1.93 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 39 के खसरा नं० 732 की 0.64 हैक्टर, खसरा नं० 733 की 1.05 हैक्टर, खसरा नं० 736 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं० 737 की 0.34 हैक्टर, कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 17 के खसरा नं० 109 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं० 110 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं० 111 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं० 17 की 0.33 हैक्टर, खसरा नं० 32 की 0.44 हैक्टर, कुल किता 5 की कुल 2.04 हैक्टर आराजी का मौके पर हुए पारिवारिक विभाजन व कब्जे काशत अनुसार यानि वाद पत्र की मद नं० 3 में वर्णित अनुसार आराजी का विभाजन किया जाकर विभाजन की डिक्री पारित फरमायी जावे तथा उक्त विभाजन अनुसार राज लगान पृथक-पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इस आशय की वादी के हक में व प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध विभाजन की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। इसके पश्चात प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री लोकेश पोटर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होना बताया। तदुपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं.1 द्वारा स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी सं.1 की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनाम तस्दीक किया जाने के उपरान्त अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामे इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का दावा स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि-

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपस्थित अधिकारी, सांगोद

3

उपस्थित अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

माल ग्राम चतरपुरा पटवार हलका डीमी तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 29 के खसरा नं० 75 की 1.93 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 39 के खसरा नं० 732 की 0.64 हैक्टर, खसरा नं० 733 की 1.05 हैक्टर, खसरा नं० 736 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं० 737 की 0.34 हैक्टर, कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 17 के खसरा नं० 109 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं० 110 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं० 111 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं० 17 की 0.33 हैक्टर, खसरा नं० 32 की 0.44 हैक्टर, कुल किता 5 की कुल 2.04 हैक्टर आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है-

अ. हिस्सा वादी जगदीश पुत्र सुखदेव :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
चतरपुरा	नई 29	75	1.93 सम्पूर्ण
	कुल 1 किता की कुल	1.93 हैक्टर आराजी	
डोबडी	17	32	0.44 हैक्टर सम्पूर्ण
		109	0.06 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से
			0.58 हैक्टर पश्चिम

कुल 3 किता की कुल 1.08 हैक्टर आराजी

ब. प्रतिवादी नं० 1 द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव के हिस्से की आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
डोबडा	39	732	0.64 हैक्टर सम्पूर्ण
		733	1.05 हैक्टर सम्पूर्ण
		736	0.05 हैक्टर सम्पूर्ण
		737	0.34 हैक्टर सम्पूर्ण
	कुल 4 किता की कुल	2.08 हैक्टर आराजी	
डोबडी	17	17	0.33 हैक्टर सम्पूर्ण
		110	0.01 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से
			0.62 हैक्टर पूर्वी



प्रमाणित प्रतिलिपि

अधिकारी, सांगोद

4

उपर्युक्त अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

कुल 3 किता की कुल 0.96 हैक्टर आराजी

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं.1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।  
उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राज लगान का अंकन पृथक-पृथक किया जावे।  
विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत  
रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।

(अंजना सहरावती)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि  
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

(अंजना सहरावती)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद



फर्द डिकी मुकदमात इन्वादाई

आर.रुल्स 6-7 जाफ़ा दीयानी

निर्णय बइजलारा सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 151/1/2021

तारीख दायरा 15.11.2021

उनवान

जगदीश पुत्र सुखदेव जाति भीणा निवारी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।  
- वादी

बनाम

1. द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव जाति भीणा निवारी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। - प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी)

दिनांक :- 15.11.2021

श्री लोकेश पोटर (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बहादुर सिंह मिन जानिब मुदई रुबरु श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-

माल ग्राम चतरपुरा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं० नई 29 के खसरा नं० 75-की-1.93. हैक्टर. कुल. 1. कित्ता की कुल 1.93 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडा. पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 39 के खसरा नं 732 की 0.64 हैक्टर, खसरा नं० 733 की 1.05 हैक्टर, खसरा नं० 736 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं० 737 की 0.34 हैक्टर, कुल 4 कित्ता की कुल 2.08 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 17 के खसरा नं० 109 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं० 110 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं० 111 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं० 17 की 0.33 हैक्टर, खसरा नं० 32 की 0.44

6

ब्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

हैक्टर, कुल किता 5 की कुल 2.04 हैक्टर आराजी में बादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है-

अ. हिरसा बादी जगदीश पुत्र सुखदेव :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
चतरपुरा	नई 29	75	1.93 सम्पूर्ण
कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर आराजी			
डोबडी	17	32	0.44 हैक्टर सम्पूर्ण
		109	0.06 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से
			0.58 हैक्टर पश्चिम

कुल 3 किता की कुल 1.08 हैक्टर आराजी

ब. प्रतिवादी नं० 1 द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव के हिस्से की आराजी :-

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
डोबडा	39	732	0.64 हैक्टर सम्पूर्ण
		733	1.05 हैक्टर सम्पूर्ण
		736	0.05 हैक्टर सम्पूर्ण
		737	0.34 हैक्टर सम्पूर्ण
कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर आराजी			
डोबडी	17	17	0.33 हैक्टर सम्पूर्ण
		110	0.01 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से
			0.62 हैक्टर पूर्वी

कुल 3 किता की कुल 0.96 हैक्टर आराजी

उपरोक्तानुसार बादी एवं प्रतिवादी सं.1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद कर राज लगान का अंकन पृथक-पृथक किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

प्रमाणित प्रतिलिपि

कृषक अधिकारी, सुपुल

7

उपसमूह अधिष्ठात्री  
सुपुल जिला कोटा



(अंजना साहसवाल) की  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना साहसवाल) की  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी सांगोद



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक - 2022/207

दिनांक - 11/2/22

वास्ते- पटवारी हलका ..... डी.गी.

विषय- मि.न. 5/22 ..... इजराय की पालना बाबत।

उनवान- ..... जगदीश / दारकीलाल

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
सांगोद, जिला- बरेल  
सांगोद

दिनांक-

क्रमांक- /2021/

प्रतिलिपि-सूचनार्थ / पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद / नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
सांगोद, जिला- बरेल  
सांगोद

